

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या: 1202
उत्तर देने की तारीख: 11.02.2025

एनजीओ के लिए निधि

1202. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में मंत्रालय में पंजीकृत और प्रचालनरत गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है;
- (ख) वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के खातों की वार्षिक रूप से मंत्रालय में पैनलबद्ध अधिकृत सीए द्वारा या निजी रूप से संपरीक्षा की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसी संपरीक्षा की प्रक्रिया क्या है; और
- (घ) मानदंडों का पालन नहीं करने वाले और अपने खातों का रखरखाव और संपरीक्षा नहीं करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निम्नलिखित योजनाओं के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को निधियां उपलब्ध कराता है:

- i लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ)
- ii. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी), जो अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीएवाई) का एक घटक है।
- iii. नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना।

वर्तमान में, उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ कुल 1234 गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं। चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विभाग द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार, एनजीओ द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा एनजीओ के लेखों (accounts) की वार्षिक लेखा परीक्षा किया जाना अपेक्षित होता है। जो एनजीओ मानदंडों का पालन नहीं करते हैं और अपने लेखा परीक्षित लेखों (accounts) को मेनटेन नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध एडवाइजरी, कारण बताओ नोटिस, अनुदान रोकना, ब्लैकलिस्टिंग आदि जैसी सुधारात्मक/दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर के लिए नियत श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा पूछे गए अतारकित प्रश्न संख्या 1202 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत मोड-2 में चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

(रु.लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	जारी निधि			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 07.02.2025 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	139.55	52.32	136.71	69.69
2.	गुजरात	14.09	7.67	0	55.16
3.	हरियाणा	5.50	13.01	0	42.38
4.	कर्नाटक	280.05	242.35	400.07	153.08
5.	मध्य प्रदेश	123.32	28.47	52.37	52.58
6.	महाराष्ट्र	488.58	624.99	731.48	356.08
7.	ओडिशा	239.99	203.66	329.79	92.01
8.	राजस्थान	292.99	222.40	349.93	201.96
9.	तमिलनाडु	117.96	119.92	0	0
10.	उत्तर प्रदेश	799.58	564.38	807.40	392.23
11.	उत्तराखंड	20.04	9.71	34.26	11.66
12.	पश्चिम बंगाल	106.55	24.79	76.25	58.66
13.	दिल्ली	81.62	105.82	155.10	193.99
14.	असम	59.28	48.64	0	0
15.	मणिपुर	14.31	0	11.00	0
16.	तेलंगाना	39.81	26.67	32.47	8.25
17.	मेघालय	24.87	21.66	0	0
	कुल योग	2848.09	2316.46	3116.83	1687.73

एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) योजनाओं के अंतर्गत चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र/	जारी निधि			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 07.02.2025 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1259.01	1058.69	1663.32	1268.51
2	बिहार	0	0	36.64	41.63
3	छत्तीसगढ़	46.37	27.36	118.61	94.09
4	गोवा	0	0	0	0
5	गुजरात	86.99	53.57	106.61	58.89
6	हरियाणा	241.81	169.86	244.1	124.01
7	हिमाचल प्रदेश	18.07	11.58	26.54	12.12
8	झारखंड	42.75	48.86	84.89	35.63
9	कर्नाटक	790.55	641.99	943.17	643.71
10	केरल	33.78	8.75	41.5	0
11	मध्य प्रदेश	175.45	152.62	261.3	103.74
12	महाराष्ट्र	585.86	527.39	963.3	633.2
13	ओडिशा	1484.26	1090.01	1649.53	1206.56
14	पंजाब	6.21	4.83	0	0
15	राजस्थान	296.24	121.95	355.49	42.29
16	तमिलनाडु	1428.56	1089.23	1563.32	1160.52
17	तेलंगाना	302.58	166.71	509.27	309.3
18	उत्तर प्रदेश	754.51	623.66	797.25	349.66
19	उत्तराखंड	16.08	23.41	35.7	6.46
20	पश्चिम बंगाल	338.5	332.8	720.87	74.05
21	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
22	चंडीगढ़	0	0	0	0
23	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0
24	लक्षद्वीप	0	0	0	0
25	दिल्ली	36.15	47.25	74.6	35.29
26	पुदुचेरी	41.16	33.96	69.67	8.78
27	अरुणाचल प्रदेश	15.58	0	8.25	0
28	असम	696.15	609.32	710.05	352.85
29	जम्मू कश्मीर	0	0	56.57	8.55
30	लद्दाख	0	0	0	0
31	मणिपुर	518.6	349.37	772.55	576.24
32	मेघालय	93.96	0	0	0
33	मिजोरम	0	0	0	3.34
34	नागालैंड	10.72	20.77	52.6	31.04
35	सिक्किम	0	0	0	0
36	त्रिपुरा	0	17.44	29.91	26.39
	कुल योग	9319.9	7231.38	11895.61	7206.85

नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई धनरशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि (रु. करोड़ में)			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 31.12.2024 तक)
1	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3.12	3.99	6.33	1.34
3	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.05	0.00	0.00
4	असम	5.24	4.37	7.46	2.58
5	बिहार	2.05	1.84	2.25	2.01
6	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0.27	0.00	0.1	0.03
7	छत्तीसगढ़	0.86	1.29	0.68	0.67
8	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) तथा दमन और दीव	0.2	0.24	0.32	0.08
9	दिल्ली	4.37	3.47	3.95	1.94
10	गोवा	0.0	0.00	0	0.00
11	गुजरात	2.35	2.53	3.11	1.05
12	हरियाणा	1.98	2.03	1.61	0.85
13	हिमाचल प्रदेश	1.29	0.91	1.25	0.31
14	जम्मू और कश्मीर	0.46	2.37	2.15	1.48
15	झारखंड	0.19	0.24	0.38	0.08
16	कर्नाटक	7.67	9.00	10.36	2.02
17	केरल	3.62	3.54	5.22	1.78
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.18
19	मध्य प्रदेश	2.84	3.50	5.46	3.16
20	महाराष्ट्र	8.77	9.88	12.81	3.04
21	मणिपुर	7.2	8.00	10.60	2.40
22	मेघालय	0.0	0.25	0.14	0.00
23	मिजोरम	1.95	2.25	3.03	0.63
24	नागालैंड	1.97	1.19	0.91	1.17
25	ओडिशा	10.07	9.31	14.55	4.54
26	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	0.22	0.43	0.58	0.16
27	पंजाब	1.08	1.01	1.33	1.12
28	राजस्थान	3.74	4.87	9.91	2.35
29	सिक्किम	0.46	0.19	0.28	0.30
30	तमिलनाडु	4.95	5.19	9.03	2.95
31	तेलंगाना	2.32	2.49	3.63	0.63
32	त्रिपुरा	0.08	0.14	0.00	0.00
33	उत्तर प्रदेश	6.09	4.97	9.82	3.87
34	उत्तराखंड	1.28	1.63	1.37	0.78
35	पश्चिम बंगाल	2.43	2.43	4.06	1.35
36	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.00
	कुल	89.12	93.60	132.68	44.85
